

भारत सरकार
पर्यटन मंत्रालय
राज्य सभा
लिखित प्रश्न सं. 2697#
गुरुवार, 23 मार्च, 2023/2 चैत्र, 1945 (शक)
को दिया जाने वाला उत्तर

विदेशी पर्यटकों की संख्या

2697#. श्री नरहरी अमीन:

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) कोरोना काल के बाद भारत की यात्रा पर आए विदेशी पर्यटकों की कुल संख्या कितनी है;
- (ख) क्या कोरोना काल के बाद विदेशी पर्यटकों की संख्या में वृद्धि देखी गई है;
- (ग) क्या सरकार द्वारा देश में विदेशी पर्यटकों के आगमन को प्रोत्साहित करने के लिये किसी योजना पर कार्य किया जा रहा है;
- (घ) क्या अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों की सुविधा हेतु हवाई अड्डों एवं रेलवे स्टेशनों पर किसी विशेष सुविधा को शुरू किया गया है यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ङ) विगत दो वर्षों में गुजरात भ्रमण करने वाले विदेशी पर्यटकों की कुल संख्या कितनी है?

उत्तर

पर्यटन मंत्री

(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) और (ख): वर्ष 2020 से 2022 के दौरान भारत में विदेशी पर्यटक यात्राओं (एफटीए) का माह-वार विवरण अनुबंध में दिया गया है। महामारी से पूर्व वर्ष 2019 के दौरान भारत में विदेशी पर्यटक यात्राएं (एफटीए) 10.93 मिलियन थी। पर्यटन क्षेत्र ने कोविड-19 महामारी के बाद पुनरूत्थान के अच्छे संकेत दिए हैं। आप्रवासन ब्यूरो से प्राप्त अद्यतन सूचना के अनुसार वर्ष 2021 के दौरान 1.52 मिलियन विदेशी पर्यटक यात्राओं (एफटीए) की तुलना में 2022 की समान अवधि के दौरान भारत में 6.19 मिलियन विदेशी पर्यटक यात्राएं (एफटीए) हुईं।

(ग): पर्यटन मंत्रालय देश के विभिन्न पर्यटक गंतव्यों और उत्पादों को समग्र रूप से प्रोत्साहित करने के लिए सम्भावित विदेशी और घरेलू बाजारों में कई संवर्धनात्मक गतिविधियाँ करता है। इनमें 'अतुल्य भारत' ब्रांड-लाइन के तहत मीडिया अभियान जारी करना सोशल मीडिया पर प्रचार, वेबिनार, संवर्धनात्मक कार्यक्रमों में सहभागिता और

प्रोत्साहन, सूचना का प्रसार और वेबसाइट के माध्यम से सम्पर्कता आदि शामिल है। इसके अतिरिक्त पर्यटन मंत्रालय के विदेशों में स्थित भारत पर्यटन कार्यालय और विदेशी भारतीय मिशन देश के विभिन्न पर्यटक गंतव्यों में अधिक से अधिक वैश्विक यात्रियों को आकर्षित करने के लिए विभिन्न संवर्धनात्मक गतिविधियाँ भी करते हैं।

कोविड के पश्चात् देश में इनबाउंड पर्यटन की बहाली और विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए भारत सरकार ने सम्भावित पर्यटन बाजारों से आने वाले विदेशी पर्यटकों को प्रथम 5 लाख वीजा निःशुल्क प्रदान किए। प्रथम 5 लाख पर्यटक वीजा जारी करने के दौरान निःशुल्क वीजा का लाभ प्रति पर्यटक केवल एक बार के लिए उपलब्ध था। यह योजना दिनांक 31.03.2022 तक वैध थी।

वीजा शुल्क को युक्तसंगत बनाया गया है और इसे काफी कम कर दिया गया है जिसमें ई-पर्यटक वीजा को 5 वर्ष के लिए 80 अमरीकी डॉलर, 1 वर्ष के लिए 40 अमरीकी डॉलर तक कम कर दिया गया है और लीन सीज़न में एक-माह के ई-पर्यटक वीजा मूल्य को घटा कर 10 अमरीकी डॉलर और पीक सीज़न में 25 अमरीकी डॉलर कर दिया गया है। 166 देशों के नागरिकों के लिए भारतीय ई-पर्यटक वीजा की सुविधा 5 उप श्रेणियों अर्थात् 'ई-पर्यटक वीजा, ई-बिज़नेस वीजा, ई-मेडिकल वीजा, ई-मेडिकल अटेंडेंट वीजा' और 'ई-कान्फ्रेंस वीजा' में उपलब्ध है। प्रवेश के लिए ई-वीजा 29 चिह्नित हवाईअड्डों और 5 चिह्नित बंदरगाहों में वैध हैं।

देश के प्रतिबंधित/संरक्षित क्षेत्रों में पर्यटकों के बेहतर और निर्बाध यात्रा अनुभव के लिए पर्यटन मंत्रालय नियमित रूप से गृह मंत्रालय के साथ सहयोग करता है और जिसके परिणामस्वरूप गृह मंत्रालय ने अंडमान और निकोबार संघ राज्यक्षेत्र में चिह्नित द्वीपों के लिए आगामी 5 वर्ष की अवधि अर्थात् दिनांक 31.12.2027 तक के लिए संरक्षित क्षेत्र परमिट (पीएपी)/प्रतिबंधित क्षेत्र परमिट (आएपी) में राहत दी है।

एक पर्यटक गंतव्य के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण पहलू प्रभावी और अनुकूल कनेक्टिविटी है। इसी उद्देश्य से नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार ने आरसीएस- उड़ान योजना शुरू की है जिसका मुख्य उद्देश्य क्षेत्रीय हवाई सम्पर्क को किफायती बनाते हुए इसे सुगम बनाना/प्रोत्साहित करना है। प्रतिष्ठित स्थलों सहित महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों पर कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के उद्देश्य से चैम्पियन सेवा क्षेत्र योजना (सीएसएसएस) के तहत व्यवहार्यता अंतराल वित्तपोषण (वीजीएफ) के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए पर्यटन मंत्रालय ने नागर विमानन मंत्रालय के साथ साझेदारी की है। वर्तमान में पर्यटन

मंत्रालय द्वारा 59 पर्यटन आरसीएस(टी-आरसीएस) मार्गों को स्वीकृति प्रदान की गई है जिसमें से 51 पहले से ही प्रचालित हैं।

(घ): पर्यटन मंत्रालय 'पर्यटन अवसंरचना विकास के लिए केन्द्रीय एजेंसियों को सहायता' योजना के तहत 22 चिह्नित रेलवे स्टेशनों पर पर्यटक सम्बन्धी सुविधाओं के संयुक्त विकास के लिए रेल मंत्रालय को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इस योजना के तहत रेल मंत्रालय के साथ 50:50 के लागत सहभागिता के आधार पर चिह्नित रेलवे स्टेशन पर पर्यटक सम्बन्धी सुविधाओं के विकास के लिए रेल मंत्रालय को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

पर्यटक सुविधा एवं सूचना काउंटर वर्तमान में 9 हवाईअड्डों अर्थात् नई दिल्ली, वाराणसी, बोधगया, बेंगलुरु, कोलकाता, मुम्बई, चेन्नै, गुवाहाटी और हैदराबाद पर उपलब्ध है। ये सूचना काउंटर अंग्रेजी के साथ-साथ गैर-अंग्रेजी भाषा-भाषी पर्यटकों को सेवा प्रदान करते हैं क्योंकि यह पर्यटन मंत्रालय की 24x7 हेल्पलाइन-'1363' से भी जुड़े हुए हैं जिसपर पर्यटक विदेशी भाषा एजेंटों से सीधे बात कर सकते हैं और फ्रांसीसी, स्पेनिश, जर्मन, इतालियन, पुर्तगाली, रूसी, जापानी, कोरियन, चीनी और अरबी में मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं।

ई-वीजा 29 चिह्नित हवाईअड्डों और 5 चिह्नित बंदरगाहों से प्रवेश के लिए वैध है।

(ड.): वर्ष 2021 और वर्ष 2022 के दौरान गुजरात राज्य में विदेशी पर्यटक यात्राओं (एफटीवी) का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	विदेशी पर्यटक यात्राएं
2021	11319
2022*	2195996

स्रोत: राज्य पर्यटन विभाग

*: अंतिम

अनुबंध

विदेशी पर्यटकों की संख्या के सम्बन्ध में दिनांक 23.03.2023 के राज्य सभा के लिखित प्रश्न सं. #2697 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में विवरण

वर्ष 2020, 2021 और 2022 के दौरान भारत में विदेशी पर्यटक यात्राएं (एफटीए)

माह	विदेशी पर्यटक यात्राएं		
	2020	2021	2022 @
जनवरी	11,19,250	94,662	2,01,546
फरवरी	10,18,440	1,10,312	2,40,896
मार्च	3,28,304	1,33,768	3,42,308
अप्रैल	2,820	78,718	3,92,930
मई	3,764	19,765	4,23,701
जून	8,590	36,070	5,22,737
जुलाई	12,655	72,501	6,40,858
अगस्त	19,761	92,728	4,98,243
सितम्बर	28,167	1,15,661	5,36,340
अक्टूबर	41,494	1,91,415	6,56,895
नवम्बर	70,977	2,63,867	7,68,675
दिसम्बर	90,544	3,17,647	9,66,270
कुल (जनवरी-दिसम्बर)	27,44,766	15,27,114	61,91,399

@ अंतिम

स्रोत: आप्रवासन ब्यूरो
